जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

दिनांक 23.02.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज उपायुक्त खूंटी, श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उनके सभाकक्ष में हुई। जिसमें उन्होंने ब्लैक स्पॉट की अद्यतन स्थिति एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना रोकने एवं जागरूकता हेतु जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। दुर्घटना संभावित क्षेत्र फूदी, अंगराबाड़ी एवं डोड़मा चौक के समीप पांच सौ मीटर पूर्व से ही अधिक से अधिक संख्या में साइनेज लगाने हेतु संबंधित एजेंसियों को कहा ताकि चालक को दुर्घटना संभावित क्षेत्र तक पहुंचते ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े एवं चालक गति सीमा में ही वाहन चलाये। उन्होंने उक्त स्थानों में Rumble Strips भी लगाने का निदेश दिया। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को पुलिस बल के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने को कहा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का चालक अनुज्ञप्ति नियमानुसार निलंबित करने तथा नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत् दण्ड एवं कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बस ऑनर्स ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि को कहा कि वे अपने स्तर से भी वाहन चालकों को सूचित करें कि शराब पीकर वाहन न चलायें। जिला प्रशासन इसके विरूद्ध निरंतर अभियान चलाएगी तथा विधि सम्मत सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने वाहनों में ओवरलोडिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय उच्चपथ प्रमण्डल खूंटी से तजना पुल, नील फैक्ट्री, मेनूगढ़ा एवं जोड़ापुल के समीप अल्पकालीन सुधार एवं दीर्घकालीन सुधार के बारे में जानकारी ली। साथ ही निदेशित किया कि सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय तथा निर्माणाधीन सड़कों को शीघ्र पूर्ण किया जाय। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिला में उपलब्ध एम्बुलेंस (सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त) की सूची बनाकर थानावार उसे टैग करते हुए जी0पी0एस0 के माध्यम से कंट्रोल रूम से जोड़ने को कहा ताकि समय पर तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा सके तथा इसकी सूची जिला वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। सिविल सर्जन से एम्बुलेंस का आकलन करते हुए एम्बुलेंस की खरीद हेतु प्रस्ताव देने को कहा ताकि सांसद एवं विधायक मद से एम्बुलेंस खरीद हेतु कार्रवाई की जा सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों के साथ कॉलेजों के प्राचार्यों से वार्ता कर यातायात के नियमों के पालन संबंधी जनजागरूकता चलाने को कहा। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को गुदड़ी बाजार के स्थानान्तरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शराब की दुकानों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपायुक्त ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को प्रचार–प्रसार हेतु यातायात नियमों से संबंधित वीडियो क्लिप को मुण्डारी एवं नागपुरी में डब करने को कहा। बैठक में सड़क के

किनारे अवस्थित झुकी डालियों को कटवाने हेतु टीम का गठन किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, बस ऑनर्स के प्रतिनिधि एवं रेंजर, वन प्रमण्डल टीम में होंगे। उपायुक्त ने टीम के सदस्यों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार डाली कटवाने का निदेश दिया। प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट द्वारा बाजार टांड़ एवं बिचना मोड़ पर दो नये दुर्घटना संभावित स्थल को चिन्हित किया गया है। ग्रामीण बस सेवा से संबंधित समीक्षा में उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को बीस सूत्री के सदस्यों, कमल क्लब के सदस्यों, मनरेगा के भेण्डरों, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से वार्ता कर ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करने को कहा। उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंतओं को कहा कि मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व उनकी अनुमति निश्चित रूप से लें। बैठक में उप विकास आयुक्त, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सहायक अभियंता पथ प्रमण्डल, सहायक अभियंता एन0एच0, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी खूंटी, बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, रंजीत प्रसाद मीडिया प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।